कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांकः एफ. 14(PWD)2019/झालावाड़ रोड/एफसीए/प्रमुवसं/ 4302 दिनांक 23/12/22

शासन सचिव
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public work Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019)

संदर्भः– राज्य सरकार के पत्रांक प. 1(107)वन/2020 जयपुर दि. 22.10.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा मुख्य वन संरक्षक, कोटा, के पत्रांक 4262 दिनांक 08.07.2022 से प्राप्त प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट एक प्रति में (मूल प्रति) अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

क्र. सं.	लगाई गई शर्त	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा। इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे इस बाबत .प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	उक्त प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वन क्षेत्र को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की .जायेगी, ताकि निकटवर्ती वन क्षेत्र को क्षति न हो इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से /पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया जायेगा	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से /पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया जायेगा इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।

CamScanner

8.	प्रस्तावित स्थल के पास वन्यजीवों के आवागमन हेतु तीन अण्डर पास जो कि पूर्व निर्धारित है जिनको प्रयोक्ता एजेन्सी निर्धारित मापदण्डो अनुसार (बड़े शाकाहारी वन्यजीवों के आवागमन हेतु) पुनः निर्माण करवायेगी।	प्रस्तावित स्थल के पास वन्यजीवों के आवागमन हेतु तीन अण्डर पास जो कि पूर्व निर्धारित है जिनको प्रयोक्ता एजेन्सी निर्धारित मापदण्डो अनुसार (बड़े शाकाहारी वन्यजीवों के आवागमन हेतु) निर्माण करवा दिया गया हैं।
9.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने व्यय पर वन खण्ड लोटियाझीर में सौ मीटर की दो एमपीटी का निर्माण करवायेगी	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने व्यय पर जल एवं मृदा संरक्षण के लिये वन खण्ड लोटियाझीर मे सौ मीटर की दो एमपीटी का निर्माण करवा दिया है।
10.	प्रयोक्ता एजेंसी प्रस्तावित सड़क के पास वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने में सहयोग करेगी और भविष्य में अतिक्रमण रोकने हेतु रेलवे स्टेशन के समीप वाले पेंच के आस पास वन भूमि की फेंसिग करवायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी प्रस्तावित सड़क के पास वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने में सहयोग करेगी और भविष्य में अतिक्रमण रोकने हेतु रेलवे स्टेशन के समीप वाले पेंच के आस पास वन भूमि की फेंसिग का निर्माण करवा दिया है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर से संशोधित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करवाकर, राज्य सरकार में प्रेषित किये जाने के उपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर से संशोधित एफ. आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करवाकर, राज्य सरकार में प्रेषित कर दी गई है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा की जावेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि 143956/– वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा की गई है।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010–CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा करा दी गई है। उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करा दी गई है। जिसके उपरान्त ई–चालान की छाया प्रति जमा	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010–CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 625374/– जमा करा दी गई है। उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करा दी गई है। जिसके उपरान्त ई–चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी राशि का मदवार विवरण हो) जमा राशि का विवरण की छायाप्रति संलग्न है।

CamScanner

	द्वारा जमा करा दी गई है। जिसके उपरान्त ई–चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाये, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	[illegible] (i) CA - 143956/- (ii) NPV - 625374/- Total = 769330/-
15	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
16	में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	प्रकरण मे कार्य अनुमति दिनांक 01.02.2021 को जारी की गई है, जिसकी प्रति क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ एवं मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है।
17	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एंव अग्रेंजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरषः प्रकाशित करा दी गई है। एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दि. 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एंव अग्रेंजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरषः प्रकाशित करा दी गई है। एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।

संलग्नः– उक्तानुसार।

भवदीया,

(शिखा मेहरा)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14(PWD)2019/झालावाड़ रोड/एफसीए/प्रमुवसं/ दिनांक

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक, कोटा को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

CamScanner

शीघ्र: ध्यान

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता–किशोरपुरा कोटा–09 (राज0), ईमेल:–ccffdp.kota@gmail.com दूरभाष:– 0744–2500194

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2022/4262 दिनांक : 08-7-2022

निमित:–

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
राजस्थान जयपुर।

विषय : Diversion of 0.9990 ha. of forest land in favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019).

संदर्भ: आपका पत्रांक एफ 14(PWD)2019/झालावाड़ रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं/554 दिनांक 22.02.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में उप वन संरक्षक झालावाड़ ने अपने पत्रांक एफ ( ) एफसीए/उवसं/2022/5516 दिनांक 24.06.2022 से पुनः बिन्दुवार पालना रिपोर्ट कार्यालय में प्रेषित की है, जो निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	लगाई गई शर्त	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	उक्त प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वन क्षेत्र को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वन क्षेत्र को क्षति न हो इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।

CamScanner

7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से /पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के आस–पास की वनभूमि से /पर निर्माण कार्य के मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया ... इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
8.	प्रस्तावित स्थल के पास वन्यजीवों के आवागमन हेतु तीन अण्डर पास जो कि पूर्व निर्धारित है जिनको प्रयोक्ता एजेन्सी निर्धारित मापदण्डो अनुसार (बड़े शाकाहारी वन्यजीवों के आवागमन हेतु) पुनः निर्माण करवायेगी।	प्रस्तावित स्थल के पास वन्यजीवों के आवागमन हेतु तीन अण्डर पास जो कि पूर्व निर्धारित है जिनको प्रयोक्ता एजेन्सी निर्धारित मापदण्डो अनुसार (बड़े शाकाहारी वन्यजीवों के आवागमन हेतु) निर्माण करवा दिया गया है।
9.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने व्यय पर वन खण्ड लोटियाझीर में सौ मीटर की दो एमपीटी का निर्माण करवायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने व्यय पर जल एवं मृदा संरक्षण के लिये वन खण्ड लोटियाझीर मे सौ मीटर की दो एमपीटी का निर्माण करवा दिया है।
10.	प्रयोक्ता एजेंसी प्रस्तावित सड़क के पास वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने में सहयोग करेगी और भविष्य में अतिक्रमण रोकने हेतु रेलवे स्टेशन के समीप वाले पेंच के आस पास वन भूमि की फेंसिग करवायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी प्रस्तावित सड़क के पास वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने में सहयोग करेगी और भविष्य में अतिक्रमण रोकने हेतु रेलवे स्टेशन के समीप वाले पेंच के आस पास वन भूमि की फेंसिग का निर्माण करवा दिया गया है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर से संशोधित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करवाकर, राज्य सरकार में प्रेषित किये जाने के उपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर से संशोधित एफ. आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करवाकर, राज्य सरकार में प्रेषित कर दी गई है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा की जावेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा की गई है।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010–CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा करा दी गई है। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ. सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010–CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा करा दी गई है। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करा दी गई है। जिसके

CamScanner

	प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करा दी गई है। जिसके उपरान्त ई–चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाये, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	उपरान्त ई–चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी राशि का मदवार विवरण हो) चालान व बिल की छायाप्रति संलग्न है।
15	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
16	में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
17	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एंव अग्रेंजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरषः प्रकाशित करा दी गई है। एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11. 2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एंव अग्रेंजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरषः प्रकाशित करा दी गई है। एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।

प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट सहमति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः–उक्तानुसार सेट–2

भवदीय

(मनोज पाराशर)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांकःएफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2022/4269
दिनांक : 08-7-2022

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, झालावाड को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

CamScanner

२।५५२

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax-07432-232230, E-mail- dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ( )एफसीए/उवसं/2022/5516 दिनांकः 24|6|2022

निमित्तः–

FCA
ny
30-6-22

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

3768
30-6-22

विषयः– **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

संदर्भः– अधिशाषी अभियंता सानिवि खण्ड झालावाड़ का पत्रांक 1850 दिनांक 22.01.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र से सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम झालावाड़ द्वारा प्रकरण Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019) के सैद्धान्तिक स्वीकृति जो कि सीमा शासन सचिन वन विभाग राजस्थान के पत्रांक प. 1 (107)वन/2020 दिनांक 22.10.2020 में लगाई गई शर्तो की बिन्दूवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित की है। ज्ञातव्य है कि प्रकरण में वृक्षो के पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर के पत्रांक 214 दिनांक 01.02.2021 से प्राप्त हो चुकी है तथा प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कार्य पुरा कर लिया गया है।

क्र. सं.	लगाई गई शर्त	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।

D/SURVEYOR/FCA LETTER 01.08.2020

CamScanner

5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	उक्त प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वन क्षेत्र को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वन क्षेत्र को क्षति न हो इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से /पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्‌टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से /पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्‌टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया जायेगा इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
8.	प्रस्तावित स्थल के पास वन्यजीवों के आवागमन हेतु तीन अण्डर पास जो कि पूर्व निर्धारित है जिनको प्रयोक्ता एजेन्सी निर्धारित मापदण्डो अनुसार (बड़े शाकाहारी वन्यजीवों के आवागमन हेतु) पुनः निर्माण करवायेगी।	प्रस्तावित स्थल के पास वन्यजीवों के आवागमन हेतु तीन अण्डर पास जो कि पूर्व निर्धारित है जिनको प्रयोक्ता एजेन्सी निर्धारित मापदण्डो अनुसार (बड़े शाकाहारी वन्यजीवों के आवागमन हेतु) निर्माण करवा दिया गया है।
9.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने व्यय पर वन खण्ड लोटियाझीर में सौ मीटर की दो एमपीटी का निर्माण करवायेगी	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने व्यय पर जल एवं मृदा संरक्षण के लिये वन खण्ड लोटियाझीर मे सौ मीटर की दो एमपीटी का निर्माण करवा दिया गया है।
10.	प्रयोक्ता एजेंसी प्रस्तावित सड़क के पास वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने में सहयोग करेगी और भविष्य में अतिक्रमण रोकने हेतु रेलवे स्टेशन के समीप वाले पेंच के आस पास वन भूमि की फेंसिग करवायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी प्रस्तावित सड़क के पास वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने में सहयोग करेगी और भविष्य में अतिक्रमण रोकने हेतु रेलवे स्टेशन के समीप वाले पेंच के आस पास वन भूमि की फेंसिग का निर्माण करवा दिया गया है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर से संशोधित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करवाकर, राज्य सरकार में प्रेषित किये जाने के उपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर से संशोधित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करवाकर, राज्य सरकार में प्रेषित कर दी गई है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल

CamScanner

	रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा की जावेगी।	OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा की गई है।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010–CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा करा दी गई है। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करा दी गई है। जिसके उपरान्त ई–चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाये, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010–CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा करा दी गई है। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करा दी गई है। जिसके उपरान्त ई–चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी राशि का मदवार विवरण हो) चालान व बिल की छायाप्रति संलग्न है।
15	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
16	में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
17	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एंव अग्रेंजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरषः प्रकाशित करा दी	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एंव अग्रेंजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरषः प्रकाशित करा दी गई है। एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय

CamScanner

	गई है। एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियॉं स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।

प्रकरण की सैधांतिक स्वीकृति में लगाई गई शर्तो की पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(संग्राम सिंह कटियार)
उप वन संरक्षक
झालावाड

क्रमांक एफ ( ) एफसीए/उवसं/2022/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अति0 प्रधान मुख्य वन सरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर।
2. अधिशाषी अभियंता सा0 नि0 वि0 खण्ड झालावाड़।

उप वन संरक्षक
झालावाड

D/SURVEYOR/FCA LETTER 01.08.2020

CamScanner

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड झालावाड़

क्रमांक : 1850 दिनांक : 22-01-2021

श्रीमान् उप वन संरक्षक
झालावाड़

विषयः– **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)** की अन्तिम् स्वीकृति जारी करने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्रांक एफ 14 ( ) 2019/झालावाड़ रोडस/एफसीए/प्रमुवस/2767 दिनांक 29.09.2020

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक संदर्भित प्रस्ताव में सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम झालावाड़ द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 में झालरापाटन, गिंदोर रेलवे स्टेशन झिकरिया किषनपुरा दुर्गपुरा गागरोन (एम.डी.आर.–227) हेतु 0.9990 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा–2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा–निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) की सैद्वान्तिक स्वीकृति 20 वृक्षो के पातन सहित निम्न षर्तो की पालना बिन्दुवार विभाग द्वारा की जा चुकी है :–

(अ) एफ.आर.ए. प्रति– श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा क्रमांक 1314 दिनांक 15.01.2021 को दी गई एफ.आर.ए. की प्रति।

(ब) आपका पत्र क्रमांक 1847 दिनांक 22.01.2021 द्वारा दिये चालान में दशाई गई राशि की प्रति जो वर्क्स अकाउटं मॉनिटरिंग सिस्टम से प्राप्त की गई।

(स) सैद्धान्तिक स्वीकृतियाः–

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा ।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।

उप वन संरक्षक
क्रमांक 427
दिनांक 25/01/21
झालावाड़

3. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।

4. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।

5. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।

6. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वन क्षेत्र को क्षति न हो।

7. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से /पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया जायेगा।

8. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रस्तावित स्थल के पास वन्यजीवों के आवागमन हेतु तीन अण्डर पास जो कि पूर्व निर्धारित है जिनको प्रयोक्ता एजेन्सी निर्धारित मापदण्डो अनुसार (बड़े शाकाहारी वन्यजीवों के आवागमन हेतु) पुनः निर्माण करवायेगी।

9. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने व्यय पर वन खण्ड लोटियाझीर से सौ मीटर की दो एमपीटी का निर्माण करवा दिया जायेगा।

10. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 10 की अनुपालना में प्रयोक्ता एजेंसी प्रस्तावित सड़क के पास वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने में सहयोग करेगी और भविष्य में अतिक्रमण रोकने हेतु रेलवे स्टेशन के समीप वाले पेंच के आस पास वन भूमि की फेंसिग करवा दी जायेगी।

11. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर से संशोधित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करवाकर, राज्य सरकार में प्रेषित कर दी गई है।

12. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 12 की अनुपालना में वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।

13. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal)

14. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 14 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010–CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा करा दी गई है। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करा दी गई है। जिसके उपरान्त ई–चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी राशि का मदवार विवरण हो) चालान व बिल की छायाप्रति संलग्न है।

15. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 15 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।

16. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 16 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

CamScanner

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1851 दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा ।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

(हेमन्त सिंह I.F.S.)
उप वन संरक्षक
झालावाड़ (राज०)

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1852 दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

(हेमन्त सिंह I.F.S.)
उप वन संरक्षक
झालावाड़ (राज०)

e

CS CamScanner

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1853 दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

(हेमन्त सिंह I.F.S.)
उप वन संरक्षक
झालावाड़ (राज०)

CamScanner

(8)

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1854 दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

(हेमन्त सिंह I.F.S.)
उप वन संरक्षक
झालावाड़ (राज०)

e

(७)

...र्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1855 दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

(हेमन्त सिंह I.F.S.)
उप वन संरक्षक
झालावाड़ (राज०)

Offic Letter New__5

CamScanner

र्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1856

दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वन क्षेत्र को क्षति न हो।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

(हेमन्त सिंह I.F.S.)
उप वन संरक्षक
झालावाड़ (राज०)

e

CamScanner

र्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1857 दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से /पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया जायेगा।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

(हेमन्त सिंह I.F.S.)
उप वन संरक्षक
झालावाड़ (राज०)

CamScanner

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1861 दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर से संशोधित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करवाकर, राज्य सरकार में प्रेषित कर दी गई है।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

(हेमन्त सिंह I.F.S.)
उप वन संरक्षक
झालावाड़ (राज०)

CamScanner

FORM-I

(For linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector Jhalawar, Rajasthan

TO WHOMSOEVER MAY CONCERN

No.....1314.... Date ..15..1..2021

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF) Government of India's letter no. 11-9/98-FC (pt.) dated 3 August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purpose read with MoEF's letter dated 5 February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.999 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Public work Department Div Jhalawar for construction of Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) in Jhalawar District falls within jurisdiction of Jhalrapatan & Ganwari village(s) in Jhalrapatan tehsils.

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.999 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) , Gram Sbha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (i) to annexure(X)

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pro agricultural communities.

Encl :- As above

Signature

(District Collector & Disrtrict Magistrate)

Jhalawar

Date 15.1.2021

No. 1314

Copy to the Executive Engineer PWD Div. Jhalawar for N/A

(District Collector & Disrtrict Magistrate)

Jhalawar

CamScanner

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1862 दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 12 की अनुपालना में वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

(हेमन्त सिंह I.F.S.)
उप वन संरक्षक
झालावाड़ (राज०)

CamScanner

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1063 दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

1. प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल **OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal)** द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करा दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

(हेमन्त सिंह I.F.S.)
उप वन संरक्षक
झालावाड़ (राज०)

e

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1864 दिनांक : 20.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

1. प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 14 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010–CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा करा दी गई है। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करा दी गई है। जिसके उपरान्त ई–चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी राशि का मदवार विवरण हो) चालान व बिल की छायाप्रति संलग्न है।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

(हेमन्त सिंह I.F.S.)
उप वन संरक्षक
झालावाड़ (राज०)

CamScanner

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.
CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submittted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.
Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.
Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.
Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made.
Paid : This icon shows that the payment has been made.

◉Proposals received on or after 15th July 2014 ○All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Jaipur
Select State : Rajasthan
Select User Agency : Select
Payment Status : ◉Paid ○Unpaid ○All
Bank Name : --Select All--
Mode of Payment : --Select All--
Transaction Date (From) :
Transaction Date (To) :
Enter value for Search : 43002

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/RJ/ROAD/43002/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/43002/2019) Rehabilitation of jhalrapatan ,Gindor,Railway station Jhikriya, Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227)	ROAD430022019832	22 Oct 2020	CA: 143956/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 625374/- , no : 0/- no : 0/- no : 0/- no : 0/- Total : 769330/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 18 Jan 2021 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 18 Jan 2021 Transaction Date : 21 Jan 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/11115123512120QOZRdema Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD430022019832)

27/1/22
(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
राजस्थान, जयपुर

SWACHH BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) Power To Empower (HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)
Open Government Data (OGD) Platform India (HTTPS://DATA.GOV.IN/) india.gov.in The national portal of India (HTTPS://INDIA.GOV.IN/) myGov
(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/) MeitY (HTTP://MEITY.GOV.IN/) (HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/E
NIC (HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India

CamScanner

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1865

दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 15 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

(हेमन्त सिंह I.F.S.)
उप वन संरक्षक
झालावाड़ (राज०)

e

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1866 दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 16 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

(हेमन्त सिंह I.F.S.)
उप वन संरक्षक
झालावाड़ (राज०)

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1867 दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 17 की अनुपालना में भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एंव अग्रेंजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरषः प्रकाशित करा दी गई है। एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

(हिमन्त सिंह I.F.S.)
उप वन संरक्षक
झालावाड़ (राज०)

राजस्थान सरकार
वन विभाग

जयपुर, दिनांक:-22 OCT 2020

...0 ha. of forest land in favour of Public Works Department ...bilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya ...pura Gagron (MDR-227)(FP/RJ/ROAD/43002/2019). ...14 ( )2019/झालावाड रोड्स/एक्सीए/प्रमुवस/2767 दिनांक 29.9.20

...न्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम, झालावाड़ द्वारा ...अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में झालरापाटन, गिंदोर ...झीकरिया किशनपुरा दुर्गपुरा गागरोन (एम.डी.आर-227) हेतु 0.9990 हेक्टयर वन भूमि ...की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव ...उपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत ...दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Divetsion of 0.9990 ha. of forest land in favour of Public Works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) की सैद्धान्तिक स्वीकृति 20 वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों, वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/ स्टाफ को रसोई गैस/ केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रस्तावित स्थल के आस पास वन्यजीवों के आवागमन हेतु तीन अण्डर पास जो कि पूर्व निर्धारित है जिनको प्रयोक्ता एजेंसी निर्धारित मापदण्ड अनुसार (बड़े शाकाहारी वन्यजीवों के आवागमन हेतु) पुनः निर्माण करवायेगी।
9. प्रयोक्ता एजेंसी अपने व्यय पर वन खण्ड लोटियाझीर से सौ मीटर की दो एमपीटी का निर्माण करवायेगी
10. प्रयोक्ता एजेंसी प्रस्तावित सड़क के पास वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने में सहयोग करेगी और भविष्य में अतिक्रमण रोकने हेतु रेलवे स्टेशन के समीप वाले पेच के आस पास वन भूमि की फेंसिंग करवायेगी।
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर से संशोधित एफ.आर.ए सर्टिफिकेट जारी करवाकर, राज्य सरकार में प्रेषित किये जाने के उपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों का पालन करेगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission of Monitoring of Forest & Wildlife Clearence Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का एक बैंक चालान/यूटीआर संख्या/ एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
15. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
16. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
17. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
(बी. प्रवीण) शासन सचिव

DIPR/C/10005/20

Madhya Pradesh during

दो साल से नहीं मिली कोई हिट फिल्म

सोनम के कैरिअर पर एक नजर डालें तो उनकी आखिरी हिट फिल्म 'संज... थी जो 2018 में रिलीज हुई थी। 2019 में रिलीज हुई उनकी 'एक लड़की व... देखा तो ऐसा लगा' और 'जोया फैक्टर', दोनों ही फ्लॉप रहीं और इस सा... उनकी कोई फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। उन्होंने हाल ही में अपने पिता अनि... कपूर की फिल्म 'एके वर्सेस एके' में कैमियो रोल किया था पर मजेदार बात य... है कि फिल्म में उनका एक भी डायलॉग नहीं था। ऐसा उन्होंने अपने कैरि... में पहली बार किया है।

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय टाईप ||| खौड़ावदा (इटावा) जिला कोटा (राज.) 3250...
क्रमांक : 167 दिनांक : 28.12.20...

नीलामी सूचना

केजीबीवी टाईप ||| छात्रावास खौड़ावदा इटावा में नाकारा/अनुपयोगी घोषित साम... पुस्तांकित मूल्य राशि रू. 554024 (रूपये पांच लाख चौवन हजार चौबीस मात्र)... निस्तारण खुली नीलामी द्वारा छात्रावास परिसर में दिनांक 04.01.2021 (सोमवार) प्र... 11:00 बजे गठित नीलामी कमेटी द्वारा किया जायेगा। इच्छुक बोलीदाता निर्धारित दि... एवं नियत समय पर उपस्थित होकर अमानत राशि रू. 500/- जमा करवाकर बोली... भाग ले सकता है। नीलामी की विस्तृत शर्तें एवं सामान का अवलोकन किसी भी कार्य दि... को कार्यालय समय में छात्रावास परिसर में किया जा सकता है। बोलीदाता फर्म का ... रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

(श्रीमती मीना राठौड़) सचिव, केजीबीवी, मो. 7976805876
(डॉ. मोहम्मद शरीफ खान) नोडल प्रधानाचार्य, मो. 9252301110...

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक: एफ-11/लॉटरी/2020/ दिनांक: 28.12.20...

विज्ञप्ति

नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा देवनारायण नगर एकीकृत पशुपा... आवासीय योजना के आवास मय पशु बाडा में सर्वे सूची के अनुसार ... आवेदनों की लॉटरी दिनांक 21.12. 2020 न्यास परिसर में निकाली जा... है। न्यास द्वारा दिनांक 29.12.2020 एवं 30.12.2020 समय प्रातः 1... बजे से सायं 05.00 बजे तक आवंटन पत्र वितरण एवं बैंक ऋण हेतु ... का आयोजन किया जा रहा है। अतः योजना के सफल आवंटियों को ... किया जाता है कि न्यास परिसर में उपस्थित होकर आवंटन पत्र प्राप्त कर...

जो आवंटी बैंक ऋण लेने के इच्छुक है वे आवंटी न्यास परि... आयोजित शिविर में इन्डसइंड बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक को अ... प्रस्तुत करें। साथ ही निम्नांकित मूल एवं स्वप्रमाणित दस्तावेजों की प्रति... लावें।

1. 03 पासपोर्ट साईज फोटो
2. आधार कार्ड
3. पेन कार्ड
4. बैंक स्टेटमेंट 12 माह
5. व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज

सचिव
नगर विकास न्यास

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

CAD सर्किल के पास कोटा
फोन नं. 0744-2500539, वेबसाइट: urban.rajasthan.gov.in/uitkota
दिनांक:-07.12.2020

एफ 11/नीलामी/2020/2759

ई-आक्शन के माध्यम से भूखण्ड खरीदने का अवसर

नगर विकास न्यास द्वारा ई-ऑक्शन के माध्यम से पं. मदन मोहन मालवीय फार्म हाउस योजना में खेड़ा जगपुरा में पेट्रोल पम्प हेतु भूखण्ड को नीलाम किया जा रहा है। यह भूखण्ड एन.एच. 12, 200' फीट पर स्थित है। यह भूखण्ड न्यास की नव विकसित फार्म हाउस योजना एवं आर.टी.ओ. ऑफिस के समीप स्थित है। यह भूखण्ड शहर के समीप एवं रीको संस्थान व औद्योगिक क्षेत्र के समीप स्थित है। न्यास की आवासीय योजनाओं के समीप स्थित है। ई-ऑक्शन का आरम्भ दिनांक 29-12-2020 प्रात: 11.00 बजे से शुरू होगा तथा दिनांक 31-12-2020 को दोपहर 1.00 बजे समाप्त हो जाएगा (अन्तिम 5 मिनट में स्वतः बोली विस्तार नही होने की स्थिति में) नियम/ शर्तें एवं अन्य जानकारी urban.rajasthan.gov.in/uitkota एवं udhonline.rajasthan.gov.in/ कार्यालय समय में न्यास में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है अथवा दूरभाष 0744-2500539/(Helpline For Online Support-01412560211) पर सम्पर्क करें।

ई-ऑक्शन के माध्यम से न्यास की पं. मदन मोहन मालवीय फॉर्म हाउस योजना
खेड़ा जगपुरा में पेट्रोल पम्प हेतु भूखण्ड का क्षेत्रफल (1600 वर्गमीटर)
प्रारम्भिक नीलामी दर:- 30000/- प्र.व.मी.
आरक्षित दर:- 3500/- प्र.व.मी. धरोहर राशि:- 960000/-

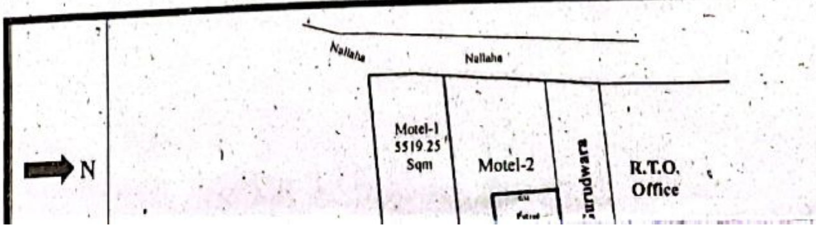

MUNICIPAL ...
R...
Tel: 0744-...
NNO.-NNK(N)/P.H/2020/...

The MCK invites unc... works from all intereste...

Name of work
Manual Segregation ... waste on all Transfe... Stations located in NM...

1. Earnest money a... the name of Aa... CORPORATION...
2. The provisions of... Furthermore, in ... the RTPP Act 20...

कार्या...

-: राजीव गांधी नगर स्पेश...

न्यास कोटा में S.S.O. आ... आईडी के माध्यम से लॉगइन ... की विस्तृत शर्तें यूआईटी कोट...

नोट: सभी नीलामी कार्य...

क्र. सं.	योजना का नाम	भूखण्ड संख्या
1	राजीव गांधी नगर स्पेशल	102

...ed under ... RFP documents. ...ided in the RFP documents. ... December, 2020 to 11.00 hrs. ... for the required services along ... work and other details can be ... eproc.rajasthan.gov.in. The cost of ... security amount which is to be paid by ... servator of Forests and T.A. to Principal ... (HoFF), Rajasthan, Jaipur payable at Jaipur. ... paid by DD in favour of Managing Director, ... Bid submitted without the payment of bid ... fee and EMD (bid security) would be reject- ... submission of RFP is upto January 5,2020, ... www.eproc.rajasthan.gov.in Tender ID 2020_

...unication: Conservator of Forests and T.A. to Principal ... of Forest (HoFF) Rajasthan, Jaipur Rajasthan India ... NO. Ph: 0140-2700016/2700152/2713852/2713814

Additional Principal Chief Conservator of Forest (M&E), Rajasthan, Jaipur

राजस्थान सरकार
वन विभाग

...क: प.1(107)वन/2020 — जयपुर, दिनांक:- 22 OCT, 2020

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषय: Diversion of 0.9990 ha. of forest land in favour of Public Works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227)(FP/RJ/ROAD/43002/2019)

सन्दर्भ: आपका पत्रांक एफ 14( )2019/झालावाड रोड्स/एफसीए/प्रमुवस/2767 दिनांक 29.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित प्रस्ताव में सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम, झालावाड़ द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में झालरापाटन, गिदोर रेलवे स्टेशन झिकरिया किशनपुरा दुर्गपुरा गागरोन (एम.डी.आर-227) हेतु 0.9990 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.9990 ha. of forest land in favour of Public Works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) की सैद्धान्तिक स्वीकृति 20 वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किये जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावें। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होगें।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/ केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रस्तावित स्थल के आस पास वन्यजीवों के आवागमन हेतु तीन अण्डर पास जो कि पूर्व निर्धारित है जिनका प्रयोक्ता एजेंसी निर्धारित मापदण्ड अनुसार (बड़े शाकाहारी वन्यजीवों के आवागमन हेतु) पुनः निर्माण करवायेगी।
9. प्रयोक्ता एजेंसी अपने व्यय पर वन खण्ड लोटियाझीर से सौ मीटर की दो एमपीटी का निर्माण करवायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी प्रस्तावित सड़क के पास वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने में सहयोग करेगी और भविष्य में अतिक्रमण रोकने हेतु रेलवे स्टेशन के समीप वाले पैच के आस पास वन भूमि की फेंसिंग करवायेगी।
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर से संशोधित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करवाकर राज्य सरकार में प्रेषित किये जाने के उपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring Of forest & Wildlife Clearence Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/ यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
15. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
16. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
17. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(वी. प्रवीण)
शासन सचिव

DIPR/C/10005/2020

---

next 24 hours on Friday.

New Year revellers have to be aware that there will be dense to very dense fog with visibility under 60 metres in some parts of northern India till January 1. IANS

TIMES interac...

jobs

SITUATION VACANT

MEDICAL

MEDICAL

REQ. Gen. Physician, Gen. Surgeon. Salary Negotiable - Vijay Hospital, Bharatpur (Raj.), vijay.hospital@rediffmail.com , 9352731498

business

BUSINESS OFFERS

MY Earning is Rs20,000+/Day* See my Passive Earning Proof. Start-up Amt: Rs.12,000+ once*. Earn Rs.50,000 to Rs.2 Lakh/M. Zoom FEE - Rs.201 adjustable*. CALL me 4 Times: 91136 52397

CONSULTANTS

REQUIRE consultant for automated JUTE BAG/PP NON WOVEN RICE bag at uttarakhand-jute2021@gmail.com ; 7838319903

tender & notices

TENDERS

E-AUCTION NOTICE
(FIRE AFFECTED APPROX. 230 MT OF BURNT COTTON WASTE)

E- Auction forms are invited from interested buyers for disposal, strictly on "As Is Where Is" basis, on 'Per-Kg basis', for Fire Affected Approx. 230 MT of Burnt Cotton waste belonging to **M/s. Lovely Spintex.** Salvage of the above materials can be inspected at 26 Mile Stone, NH-79, Bijainagar, Dist. Ajmer, Rajasthan. between **01/01/21** to **11/01/21**, after taking prior appointment from Mr. Manoj Maheshwari - 9414008342. E-Auction to be held on **12/01/21.** For E-Auction forms, **Contact Mr. Atul Halarnkar at Mob: - 9315902436** of **Salvage Settlers Private Limited (Auctioneers)** Registered Address: - RP-22, 2nd Floor, Pitampura, New Delhi-110034 or download from website: www.SalvageSettlers.com. Last date for submission of E-auction form is **11/01/21** before 4.00 PM.

pers...

CHANGE...

IN my army ... Dob is record... as 05.07.1987, ... is 23.07.1986 fo... pose. Army No... Kailash Chan... ka Bass, Pos... Distt.- Sikar (...

I prabhu lal ch... to correct my n... my service rec... correct name ... and incorrect n... devi.

I, No. 27057... Rajveer Singh... Cast Jat Vi... dhani Barau ... District JHUN... do hereby s... that, in my se... wife name SU... mistake. his ... real name ... MARI New na... all purpose.

I have change... Mitthu Lal ... thoo Lal Pr... Lal Prajapat... Add. Vill. M... Dist. Udaipu...

I have cha... Ruksana Be... w/o Mohan... wn in futu... Ruksana Id... pura Kota.

I JC no 6683... Jitendra Ku... changed n... porson of ... harsh to H... affidavit n... 30/12/2020.

I, Mahave... Shri Phoo... resident ... anpura, T... Bhilwara ... that: My ... date of bir... by mitake ... istered ... 04.10.1999 ... ments (A... general n... declare th... corded ... 01.05.2001 ... correct.

I JC no 6... Jitendra ... changed ... person ... daughte... Sharma ... AP 2300...

I have ch... Gopal ... Gopal K... ture I w... new n... Sharda ... Sharda ... nagar 3...

TIMES interac
NEW YEAR SPECIAL

Happy New Year
www.naturewoodcottages.com
ECO-FRIENDLY COTTAGES

- Termite Resistant
- Water & Fire Resistant
- Heat & Sound Insulated
- Built in 80-100 Days

Deals in: Wooden Cottages / Resort Cottages / Pergola & Gazebos
NATURE WOOD COTTAGES
Visit for Sample Cottage
Call: 9810546993, 9599308592
Email: naturewoodcottages@hotmail.com

THE TIMES GROUP
Readers are recommended to make appropriate enquires and seek appropriate advice before sending money, incurring any expenses, acting on medical recommendations or entering into any commitment in relation to any advertisement published in this publication. The Times Of India Group doesn't vouch for any claims made by the Advertisers of products and services. The Printer, Publisher, Editor, and Owners of The Times Of India Group publications shall not be held liable for any consequences, in the event such claims are not honoured by the Advertisers.